(8)

बिहार सरकार
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०– स्था०1/वि०3–28/2015 32 पटना, दिनांकः 18/02/2020

कार्यालय आदेश

श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक–सह–क्रय केन्द्र प्रभारी, काराकाट प्रखंड, रोहतास संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, केसठ प्रखंड, बक्सर के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, रोहतास के पत्रांक–28(मु०)/आ० दिनांक–22.04.2015 द्वारा समर्पित आरोप पत्र के आलोक में निदेशालय के का०आ०सं०–124 सहपठित ज्ञापांक–741 दिनांक–16.06.2015 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम –17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। इस विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), रोहतास को संचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, रोहतास को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक–सह–क्रय केन्द्र प्रभारी, काराकाट प्रखंड, रोहतास पर निम्न आरोप गठित किये गये :–

(i) रब्बी विपणन मौसम 2012–13 में आपकी प्रतिनियुक्ति काराकाट(पैक्स) क्रय केन्द्र पर क्रय केन्द्र प्रभारी के रूप में आदेश ज्ञाप संख्या–688 दिनांक 27.04.2012 द्वारा की गई थी। जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, रोहतास से दिनांक 12.04.2015 को प्राप्त प्रतिवेदनानुसार उक्त क्रय केन्द्र पर आपके द्वारा 40958 क्विंटल गेहूँ की अधिप्राप्ति की गई थी, जिसमें से 39358.50 क्विंटल गेहूँ भारतीय खाद्य निगम को उपलब्ध कराया गया तथा शेष 1599.50 क्विंटल गेहूँ भारतीय खाद्य निगम से अस्वीकृत कर दिये जाने के फलस्वरूप उक्त क्रय केन्द्र के गोदाम में भंडारित थे। विभाग से प्राप्त निदेश के आलोक में भारतीय खाद्य निगम से अस्वीकृत गेहूँ की निलामी की गई। निलामी के पश्चात निलामीकर्त्ता को उक्त गोदाम में अवशेष गेहूँ के उठाव के लिए एस०आई०ओ० निर्गत किया गया, जिसके विरूद्ध निलामीकर्त्ता द्वारा 1092.78 क्विंटल गेहूँ का उठाव किया गया शेष 506.72 क्विंटल गेहूँ उक्त क्रय केन्द्र के गोदाम में उपलब्ध नहीं रहने के कारण उठाव नहीं हो सका। इस प्रकार स्पष्ट है कि आपके द्वारा1092.78 क्विंटल गेहूँ मानक के अनुरूप क्रय नहीं किया गया, जिससे एफ०सी०आई० द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया तथा 506.72 क्विंटल गेहूँ को गायब कर दिया गया। क्रय केन्द्र प्रभारी होने के नाते मानक के अनुरूप गेहूँ की अधिप्राप्ति करना तथा अधिप्राप्त अवशेष गेहूँ की सुरक्षा के लिए आपकी व्यक्तिगत जिम्मेवारी थी, जिसके संबंध में निदेश उक्त आदेश ज्ञाप संख्या–688 दिनांक–27.04.2012 द्वारा संसूचित है, परन्तु आपने इसका निवर्हन नहीं किया। इस प्रकार स्पष्ट है कि आपके द्वारा जान बुझकर निजी लाभ के लिए 1092.78 क्विंटल गेहूँ निम्न गुण्वत्ता का क्रय किया गया, जिसकी निलामी करने में विभाग को प्रति क्विंटल 83.04 रू० की दर से 90744.45 रू० की क्षति हुई तथा अवशेष 506.72 क्विंटल गेहूँ की बिक्री कर दी गयी या गायब कर दिया गया।

इस संबंध में आपसे पत्रांक–866/आ० दिनांक–15.04.2015 द्वारा स्पष्टीकरण की मॉग की गई। आपके द्वारा दिनांक–19.04.2015 को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है जिसमें आपके द्वारा गेहूँ की

"जन्म हो या मरण, जरूरी हैं पंजीकरण"

कमी का कारण वजन में कमी, अधिक दिनों तक गेहूँ भंडारित रहने से गुणवत्ता का ह्रास बताया गया है। क्रय केन्द्र प्रभारी होने के नाते गेहूँ की सुरक्षा एवं उसकी गुणवत्ता का आपकी व्यक्तिगत जिम्मेवारी थी, जिसका निर्वहन आपके द्वारा नहीं किया गया।

इस प्रकार आपके द्वारा 506.72 क्विंटल गेहूँ जिसका मूल्य प्रति क्विंटल 1426.04 रू० की दर से 722602.98 रू० का गबन की गई है तथा 1092.78 क्विंटल निम्न गुणवत्ता की गेहूँ क्रय की गई है, जिससे विभाग को प्रति क्विंटल 83.04 रू० की दर से 90744.45 रू० की क्षति हुई है। आपका यह कृत बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली,1976 के नियम 3(1) का (i),3(1) का (ii) एवं 3(1) का (iii)का उल्लंघन है तथा इसके लिए आप दोषी हैं।

(ii) खरीफ विपणन मौसम 2012–13 में आपकी प्रतिनियुक्ति राज्य खाद्य निगम के नासरीगंज क्रय केन्द्र पर क्रय केन्द्र प्रभारी के रूप में की गई थीं। उक्त क्रय केन्द्र पर कुल 5853.84 एम०टी०धान की अधिप्राप्ति की गई थी। जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, रोहतास के प्रतिवेदन दिनांक 17.12.2015 से स्पष्ट होता है कि उक्त क्रय केन्द्र पर अधिप्राप्त धान मिलर्स को निर्गत करने के पश्चात 3.72 एम०टी० अवशेष है। विभाग से प्राप्त निदेश के आलोक में अवशेष धान की निलामी की जानी है, फलस्वरूप इसका भौतिक सत्यापन करने का निदेश प्रखंड के वरीय पदाधिकारी को दिया गया। वरीय पदाधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन में उक्त क्रय केन्द्र के गोदाम में उक्त धान उपलब्ध नहीं पाया गया। क्रय केन्द्र प्रभारी होने के नाते अधिप्राप्त अवशेष धान की सुरक्षा के लिए आपकी व्यक्तिगत जिम्मेवारी थी, जिसके संबंध में निदेश आदेश ज्ञापांक–1860 दिनांक–11.12.2012 द्वारा संसूचित है, परन्तु आपने इसका निर्वहन नहीं किया और न तो इसके संबंध में कोई सूचना उच्चाधिकारियों को दिया। इस प्रकार स्पष्ट है कि आपके द्वारा जानबूझकर निजी लाभ के लिए अवशेष धान की बिक्री कर दी गई या गायब कर दिया गया।

इस संबंध में आपसे पत्रांक– 830 दिनांक–11.04.2015 से स्पष्टीकरण की मॉग की गई जिसके संबंध में आपके द्वारा दिनांक–17.04.2015 को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया कि आपके पास अवशेष धान की मात्रा शून्य है, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार आपके पास 3.72 एम०टी०धान अवशेष है। इस प्रकार आपके द्वारा अपने स्पष्टीकरण में गलत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है तथा इसकी पुष्टि के लिए कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि आपके द्वारा 3.72 एम०टी० धान जिसका मूल्य 53974.41 रू० होता है, गबन कर लिया गया है। आपका यह कृत बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम 3(1) का (i)3,(1) का (ii) एवं 3(1) का (iii)का उल्लंघन है तथा इसके लिए आप दोषी हैं।

2. अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच)–सह–संचालन पदाधिकारी,रोहतास(सासाराम) के पत्रांक–10 (मु०)/ वि०जॉ० दिनांक–06.07.2017 द्वारा समर्पित संचालन प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी ने मंतव्य दिया है कि " (i) क्रय केन्द्र पर इनके द्वारा 40958.00 क्विंटल गेहूँ की अधिप्राप्ति की गई थी, जिसमें से 39358.50 क्विंटल गेहूँ भारतीय खाद्य निगम को उपलब्ध कराया गया तथा शेष 1599.50 क्विंटल गेहूँ भारतीय खाद्य निगम से अस्वीकृत कर दिये जाने के फलस्वरूप उक्त क्रय केन्द्र के गोदाम में भंडारित था। विभाग से प्राप्त निदेश के आलोक में भारतीय खाद्य निगम से अस्वीकृत गेहूँ की निलामी की गई।

निलामी के पश्चात निलामीकर्त्ता को उक्त गोदाम में अवशेष गेहूँ के उठाव के लिए एस०आई०ओ० निर्गत किया गया, जिसके विरूद्ध निलामीकर्त्ता द्वारा 1092.78 क्विंटल गेहूँ का उठाव किया गया , शेष 506.72 क्विंटल गेहूँ उक्त क्रय केन्द्र के गोदाम में उपलब्ध नहीं रहने के कारण उठाव नहीं हो सका। इस संबध में पत्रांक–866/आ० दिनांक –5.04.2015 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। आरोपी ने स्पष्टीकरण दिया, जिसमें इन्होंने कमी का कारण वजन में कमी अधिक दिनों तक गेहूँ भंडारित रहने से गुणवत्ता का ह्रास बताया गया है।

यह स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा 1092.78 क्विंटल गेहूँ मानक के अनुरूप क्रय नहीं किया गया जिससे एफ०सी०आई० द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया तथा 506.72 क्विंटल गेहूँ को गायब कर दिया गया। क्रय केन्द्र प्रभारी होने के नाते मानक के अनुरूप गेहूँ की अधिप्राप्ति करना एवं अधिप्राप्त अवशेष गेहूँ की सुरक्षा के लिए इनकी व्यतिगत जिम्मेवारी थी, जिसके संबंध में आदेश ज्ञापांक–688 दिनांक–27.04.2012 द्वारा संसूचित है। इन्होंने इसका निर्वहन नहीं किया तथा जानबूझकर निजी लाभ के लिए 1092.78 क्विंटल गेहूँ निम्न गुणवत्ता का क्रय किया गया, जिसकी निलामी करने में विभाग को प्रति क्विंटल 83.04 रू० की दर से 90744.45 रू० की क्षति हुई तथा अवशेष 506.72 क्विंटल गेहूँ की बिक्री कर दी गयी या गायब कर दिया गया ।

इस प्रकार आरोपी द्वारा 506.72 क्विंटल गेहूँ जिसका मूल्य प्रति क्विंटल 1426.04 रूपये की दर से 722602.98 रूपये की गबन की गयी है तथा 1092.78 क्विंटल निम्न गुण्वात्ता की गेहूँ क्रय की गयी है, जिससे विभाग को प्रति क्विंटल 83.04 रूपये की दर से 90744.45 रूपये की क्षति हुई है।

आरोपी श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक के विरूद्ध गठित प्रपत्र 'क' में लागाये गये आरोप सं० 01 प्रमाणित होता है।

(ii) खरीफ विपणन मौसम 2012–13 में इनकी प्रतिनियुक्ति, राज्य खाद्य निगम, नासरीगंज क्रय केन्द्र पर क्रय केन्द्र प्रभारी के रूप में की गई थी। उक्त क्रय केन्द्र पर कुल 5853.84 एम०टी० धान की अधिप्राप्ति की गयी थी।

जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, रोहतास, (सासाराम) के प्रतिवेदन दिनांक–17.12.2015 से स्पष्ट होता है कि उक्त क्रय केन्द्र पर अधिप्राप्त धान मिलर्स को निर्गत करने के पश्चात 3.72 एम०टी० अवशेष था । विभाग से प्राप्त निदेश के आलोक में अवशेष धान की निलामी की जानी है, फलस्वरूप इसका भौतिक सत्यापन करने का निदेश प्रखंड के वरीय पदाधिकारी को दिया गया। वरीय पदाधिकारी से भौतिक सत्यापन में उक्त क्रय केन्द्र के गोदाम में उक्त धान उपलब्ध नहीं पाया गया। क्रय केन्द्र प्रभारी होने के नाते अधिप्राप्त अवशेष धान की सुरक्षा के लिए आरोपी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी थी, जिसके संबंध में निदेश आदेश ज्ञापांक –1860 दिनांक–11.12.2012 द्वारा संसूचित है, परन्तु इन्होंने इसका निर्वहन नहीं किया और न तो इसके संबंध में कोई सूचना उच्चधिकारियों को दिया। इससे स्पष्ट है कि आरोपी द्वारा जानबूझकर निजी लाभ के लिए अवशेष धान की बिक्री कर दी गई या गायब कर दिया गया।

इस संबंध में आरोपी से पत्रांक– 830 दिनांक–11.04.2015 से स्पष्टीकरण की मॉग की गयी थी, जिसके संबंध में इन्होंने दिनांक–17.04.2015 को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है, जिसमें अवशेष धान की मात्रा शून्य बताया गया है। जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार आरोपी के पास

3.72 एम०टी० धान अवशेष है इस प्रकार आरोपी ने अपने स्पष्टीकरण में गलत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है तथा इसकी पुष्टि के लिए कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

इस प्रकार आरापी द्वारा 3.72 एम०टी० धान जिसका क्रय मूल्य 53974.41 रू० होता है, जो गबन कर लिया गया है।

जिससे आरोप संख्या–2 की पुष्टि होती है।

मंतव्य :– इस तरह श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, काराकाट प्रखंड, रोहतास –सह–क्रय केन्द्र प्रभारी, नासरीगंज पर गठित प्रपत्र 'क' में लगाया गया आरोप 1 एवं 2 सत्य प्रमाणित होता है।"

3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम –18 में किये गये प्रावधान के तहत संचालन पदाधिकारी के आरोप प्रमाणित पाये जाने के प्रतिवेदन पर श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह से अभ्यावेदन प्राप्त किया गया। अपने अभ्यावेदन में श्री सिंह ने उल्लेख किया है कि "(i) किसी भी साक्षी का साक्ष्य नहीं कराया गया है, जबकि आरोप संख्या–01 को प्रमाणित करने के लिए साक्ष्यों को प्रस्तुत करना आवश्यक था ताकि उन्हें प्रति परीक्षण का अवसर मिल सके। इस प्रकार इन्हें अपने बचाव का अवसर नहीं दिया गया।

(ii) आरोप संख्या–2 आधारहीन है। इस संबंध में अपने लिखित अभ्यावेदन के साथ राज्य खाद्य निगम, रोहतास का पत्रांक–2143 दिनांक–21.12.2015 दाखिल किया गया जिसमें इनके पास धान का कोई बकाया नहीं होने का उल्लेख है जिसको प्रमाणित करने का न तो उन्हें अवसर दिया गया और ना ही उस पर जॉच पदाधिकारी/संचालन पदाधिकारी द्वारा विचार किया गया। धान को कोई बकाया उनके विरूद्ध वर्ष 2012–13 का नहीं है।"

श्री सिंह के अभ्यावेदन के साथ संलग्न जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, रोहतास का पत्रांक–2143 दिनांक–21.12.2015 के आलोक में निदेशालय के पत्रांक– 2008 दिनांक–01.10.2018 द्वारा संचालन पदाधिकारी से उनका मंतव्य मॉगा गया। उनका मंतव्य अप्राप्त रहने पर निदेशालय के पत्रांक–1119 दिनांक–12.06.2019 द्वारा राज्य खाद्य निगम, रोहतास से स्थिति स्पष्ट करने का निदेश दिया गया।

उक्त के आलोक में जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, रोहतास के पत्रांक–1085 दिनांक–14.08.2019 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह के उपर धान का कोई बकाया नहीं है लेकिन गेहूँ के गबन की राशि एवं निलामी में पायी गयी क्षति की अंतर राशि ब्याज सहित जुलाई,2019 तक मो० 981210.95 (नौ लाख इक्यासी हजार दो सौ दस रूपये पिचान्वे पैसे) बसूलनीय है। इस संबंध में निदेशालय के पत्रांक–2045 दिनांक–31.10.2019 द्वारा जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, रोहतास से निलामवाद संख्या–22/15–16 के वसूली के शिड्यूल आदि के संबंध में जानकारी मॉगी गयी। इस संबंध में जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, रोहतास (सासाराम) के पत्रांक–307 दिनांक–20.01.2020 द्वारा सूचना भेजी गयी है जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित है कि श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह के द्वारा निलाम पत्र वाद सं०–22/2015–16

में अंकित राशि मो० 627771.33 (छः लाख सताईस हजार सात सौ इक्हत्तर रूपये तैंतीस पैसे) रूपये के विरूद्ध श्री सिंह द्वारा कुल 627772.00 (छः लाख सताईस हजार सात सौ बहत्तर रूपये) रूपये बिहार राज्य खाद्य निगम के पक्ष में दिनांक–24.02.2016 को जमा किया गया है ।

4. संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन एवं जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, रोहतास (सासाराम) के प्रतिवेदन के आधार पर श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह दोषी हैं।

5. आरोप पत्र गठित होने के बाद संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप साबित होने के कारण संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह पर संचयी प्रभाव से 2 (दो) वेतन वृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही निलामपत्र वाद के आधार पर आरोपी से शेष राशि की वसूली की जायेगी।

6. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक–सह–क्रय केन्द्र प्रभारी, काराकाट प्रखंड, रोहतास संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, केसठ प्रखंड, बक्सर पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 में किये गये प्रावधानों के तहत संचयी प्रभाव से 2 (दो) वेतनवृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है। साथ ही निलामपत्र वाद के आधार पर आरोपी से शेष राशि की वसूली की जायेगी।

ह०/–

(राजेश्वर प्रसाद सिंह)
निदेशक

ज्ञापांक :– स्था०1/वि०3–28/2015 320 पटना, दिनांकः 18/02/2020

प्रतिलिपि :– सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. जिला पदाधिकारी, रोहतास/बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, रोहतास(सासाराम) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. जिला कोषागार पदाधिकारी, रोहतास/बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, रोहतास/बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. प्रखंड विकास पदाधिकारी, केसठ प्रखंड, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग को निदेशालय मुख्यालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक–सह–क्रय केन्द्र प्रभारी, काराकाट प्रखंड, रोहतास संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, केसठ प्रखंड, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक 17/2

0143 स्था0 1(का0आ0) (10 फरवरी 2020) सत्येन्द्र कुमार सिंह(सत्येन्द्र कुमार सिंह).